

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर**

**समक्ष एम.के. सिंह**

**सदस्य**

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3872-1/2015 विरुद्ध आदेश दिनांक 20.04.2015

पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण क्रमांक 247/अ-21/2013-14

- 1- शिव कुमार गौड पुत्र श्री सुखदेव गौड,  
निवासी- मरहापाठा तहसील व जिला  
जबलपुर (म.प्र.)
- 2- सुनील कुमार गौड पुत्र श्री दौलत सिंह गौड  
निवासी - 1105 लोधी मोहल्ला गोरखपुर,  
जबलपुर (म.प्र.)

--- आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- रमेश कुमार यादव पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद यादव  
निवासी- 42 संजय गांधी नगर केन्टोमेंट जबलपुर (म.प्र.)
- 2- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला -जबलपुर (म.प्र.)

--- अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक  
श्री वी.एन. त्यागी, सूची अभिभाषक


**!! आदेश !!**

(आज दिनांक 02.11/12/2015)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 247/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर, जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की गयी है, कि उसके स्वामित्व की भूमि ग्राम खुरसी

401



प.ह.न. 69 रा.नि.म. बरगी, तहसील व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 163, रकवा 1.19 है० खसरा नं. 164 रकवा 1.05 है० इस प्रकार कुल रकवा 2.24 है० भूमि के मालिक काबिज भूमिस्वामी है। उक्त भूमि को वह अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय करना चाहता है, इस संबंध में विक्रय अनुबंध पत्र किया गया है। इस भूमि को विक्रय करने के बाद आवेदक भूमिहीन नहीं होगा क्योंकि उसके पास रकवा 8.18 हैक्टेयर भूमि असिंचित शेष बचेगी। इसलिये आवेदकगण को भूमि विक्रय करने की अनुमति दी जाये। कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक 247/अ-21/2013-14 पंजीबद्ध कर आवेदकगण के आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों की जाँच अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व जबलपुर एव नायब तहसीलदार वृत्त वरगी जबलपुर से करायी गयी जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर, जबलपुर ने आवेदकगण की अनुपस्थिति के कारण आदेश दिनांक 20.04.2015 से प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। परिणामतः आवेदकगण का विक्रय अनुमति आवेदन भी निरस्त हो गया। इसी आदेश के विरुद्ध विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण के और से उठाये गये तथ्यो पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण अदम पैरवी में दिनांक 20.04.2015 को निरस्त कर दिया जबकि कलेक्टर जबलपुर को आवेदकगण को सूचना देना थी, जब आवेदकगण प्रकरण की जानकारी लेने कलेक्ट्रेट पहुँचा तब उसे अदम पैरवी आदेश की जानकारी हुयी इस प्रकार आवेदकगण का विक्रय अनुमति आवेदन जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी विक्रय अनुमति मिलने पर विचार होने से रह गया। अतः निगरानी प्रस्तुत कर विक्रय अनुमति दिये जाने की कृपा की जाये। अनावेदक क्रमांक 2 के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की।

5- उभय पक्ष के अभिभाषकों की तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर में अदम पैरवी आदेश दिनांक 20.04.2015 पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित होता है कि अदम पैरवी आदेश दिनांक 20.0.2015 विधिवत् नहीं है। क्योंकि जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ प्रकरण जाँच हेतु गया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद वापिस आया, आवेदकगण को सूचना देकर सुनवाई हेतु आहूत करना लाजमी था, प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त नहीं करना चाहिये था। रामगोपाल विरुद्ध वासुदेव 1973 आर.एन 356 का न्यायिक दृष्टांत है कि न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया पक्षकारो को आगामी सुनवाई हेतु दिनांक की जानकारी दी जानी चाहिये

4-21

*Mu*

और सूचना पत्र निर्वाहित किया जाना चाहिये। प्रकरण में कलेक्टर द्वारा सूचना देने की कार्यवाही नहीं करना बताया गया है, जिसके कारण उनके द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 20.04.2015 निरस्त किये जाने योग्य है।

6- आवेदकगण के अभिभाषक तर्कानुसार आवेदकगण की आवश्यकता के अनुसार भूमि विक्रय अनुमति पर शीघ्र विचार होना बताया गया है प्रकरण में यह देखना है कि आवेदकगण वादग्रस्त भूमि विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं ?

1- नायब तहसीलदार वृत्त वरगी जबलपुर ने आवेदकगण के विक्रय अनुमति आवेदन पत्र की जाँच कर अपना प्रतिवेदन दिनांक 12.06.2014 में बताया है कि यदि वादग्रस्त भूमि के विक्रय की अनुमति उपरान्त भूमि विक्रय होती है, इसके बाद आवेदकगण के पास कुल रकवा 8.18 हैक्टेयर भूमि शेष बचेगी। तात्पर्य यह है कि आवेदक भूमिहीन नहीं होगा उसके पास जीवकोपार्जन हेतु पर्याप्त भूमि है।

2- प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदकगण द्वारा विक्रय की जाने वाली भूमि स्व-अर्जित भूमि है। अर्थात् शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है।

3- नायब तहसीलदार, वृत्त वरगी जबलपुर ने प्रतिवेदन में यह बताया है कि भूमि असिंचित है। इस प्रकार आवेदकगण की भूमि घाटे की कृषि भूमि है।

4- आवेदकगण अभिभाषक के तर्कों के अनुसार आवेदित भूमि स्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदकगण की भूमि पट्टे की भूमि नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि आवेदकगण भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है ऐसा भूमि स्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टेधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये दस वर्ष व्यतीत होने पर भूमि स्वामी बन जाता है जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5- प्रकरण के आये तथ्यों से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है, जो शासन से पट्टे पर प्राप्त न होकर स्व-अर्जित है। आवेदक आदिम जाति का सदस्य है, जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है संहिता की धारा 165 (7-ख) प्रतिबंधित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमि स्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबंध के कारण आवेदक ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय करने की अनुमति मांगी है आवेदकगण ने भूमि विक्रय करने का अनुबंध शासकीय गाईड लाईन के माध्यम से निर्धारित दर पर अनावेदक क्रमांक 1 के साथ किया है जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लाईन के मान से विक्रय मूल्य देने को तैयार है परिणामतः आवेदक को स्वअर्जित एवं भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय


*Res*

*M*

करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की वैधानिक अड़चन नजर नहीं आती किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इसपर गौर न करने में मूल की है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 247/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20.04.2015 त्रुटि पूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं आवेदकगण को भूमि खसरा नं.163, रकवा 1.19 हैक्टेयर खसरा नं. 164 रकवा 1.05 है0 इस प्रकार कुल रकवा 2.24 है0 भूमि के विक्रय की अनुमति दी जाती है।

for

  
(एम.के.सिंह)

सदस्थ

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश  
ग्वालियर